न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 22/17 दायरा दिनांक 23.06.2017

पीठासीन अधिकारी – छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

मीरा पत्नि कैलाश उम्र 45 वर्ष जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.) – वादी

बनाम

गंगाराम पुत्र खेमा जाति धोबी निवासी कलोनी हाल निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक – 12.04.2023

उपस्थित–1. वादी की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

2. प्रतिवादी की ओर से–एकपक्षीय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डियर पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहाबाद में वादीनी के खाते तथा कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 481/662 रकबा 4.00 वीघा स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। यह कि विवादित आराजी के पूर्व में नाला, पश्चिम में नाला बाद ज्ञानी सहरिया का खेत, उत्तर में रंगी सहर तथा जानकीलाल भील का खेत तथा दक्षिण में नाला बाद सुमत जाटव का खेत स्थित है। उक्त आराजी वादीनी महिला सहरिया अनुसूचित जनजाति के खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसमें वादीनी के अलावा किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं है। यह कि प्रतिवादी ग्राम कलोनी का निवासी था, जो वर्तमान में ग्राम केलवाडा जाकर स्थाई रूप से निवासरत है, प्रतिवादी ताकतवर एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो करीबन 10–12 दिन पूर्व हल्का पटवारी को साथ लेकर वादीनी की उक्त विवादित आराजी पर आया और वादीनी के उक्त वर्णित खेत के बीचो बीच जरीब डलवाकर कहने लगा कि खसरा नम्बर 481 में मुझे 10 वीघा भूमि आवंटन है, जो तुम्हारे खेत में मेरी करीब 3.00 बीघा जमीन निकल रही है, तुम कब्जा छोड दो तो वादीनी ने कहा कि उक्त भूमि वादीनी तथा वादीनी के पति ने नोतोड कर कडी मेहनत व श्रम व्यय कर काबिल काश्त बनाई है जिसे कब्जे के आधार पर ही सरकार ने वादीनी के नाम आवंटन कर खाते दर्ज की है, तुम्हे जहां दखल दिया हो वहां पैमायश कराओ और मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी मत करो। यह कि ततसमय तो प्रतिवादी खेत पर से चला गया परन्तु दिनांक 12.06.17 सोमवार के दिन प्रतिवादी ट्रेक्टर साथ लेकर आया और जबरन ताकत के बल पर वादीनी की उक्त विवादित आराजी में ट्रेक्टर से हांकने लगा, उस समय वादीनी ने बडी मुश्किल से हाथा जोडी कर प्रतिवादी को खेत हांकने से रोका, परन्तु जाते समय प्रतिवादी धमकी देकर गया है कि वरसात होते ही वह वादीनी की उक्त विवादित आराजी में फसल वो कर कब्जा करेगा और वादीनी को आराजी से बेदखल कर देगा। दिनांक 17.06.17 को प्रतिवादी ने वादीनी तथा वादीनी पति की झूठी रिपोर्ट कर वादीनी तथा वादीनी पति को थाने पर बुलवा लिया, जहां पुलिस ने वादीनी को धमकी दी कि चुपचाप प्रतिवादी को नापी गई जमीन पर से कब्जा छोड देना नही तो बंद कर देंगे। कब्जा छुडाना हम भलि भांति जानते हैं और डरा–धमकाकर वादीनी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

के पति से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये। यह कि प्रतिवादी की उक्त धमकी व कृत्य से वादीनी के हकूक मालिकाना आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, प्रतिवादी वादीनी की उक्त खातेशुदा विवादित आराजी पर जबरन अवेधानिक रूप से कब्जा कर वादीनी को बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी ने बलपूर्वक वादीनी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीनी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नही हो सकेगा। इस कारण वादीनी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है, इस हेतु यह नालिश पेश है। यह कि दिनांक 12.06.2017 को प्रतिवादी द्वारा कब्जा करने की नीयत से वादीनी की उक्त विवादित आराजी को हांकने की कौशिस करने पर तथा दिनांक 17.06.17 को थाने में बुलवाकर धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। यह कि वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षैत्रान्तर्गत स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को वाद का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वादपत्र पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीनी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 481/662 रकबा 4.00 वीघा ग्राम मुण्डियर पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहाबाद बाबत् वादीनी के स्वतंत्र कब्जे काश्त एवं कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावे, अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे वादीनी को प्रदान की जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी ने जरिये एडवोकेट जबाव दावा पेश कर कथन किया कि वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी स्थित होना स्वीकार है। शेष मद अस्वीकार है। उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों पर वाद पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी के संबंध में प्रतिवादी से वादी का कोई विवाद नहीं है। यह कि वादपत्र की मद नं. 2 जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। वादनी ने 481/662 की चतुर्थ सीमाऐं गलत अंकित कर प्रतिवादी के खाते की जमीन भी उक्त चतुर्थ सीमाओं में शामिल कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्वेश्य से स्वयं के खाते का खसरा नं. लिखकर तथा प्रतिवादी की भूमि को चतुर्थ सीमाओं के अन्दर शामिल कर धोखाधडी से प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा करने की गरज से यह वाद पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादनी क्लीन हेण्ड से न्यायालय के सामने नहीं आई है। वादपत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है। वादनी ने मिथ्या तथ्यों पर काल्पनिक कहानी बनाई है। पहले वादनी प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमि में स्वयं की भूमि निकलना बतलाकर झगडा करती थी जबकि प्रतिवादी के खातेशुदा भूमि खसरा नं. 481/657 रकबा 10 वीघा पर प्रतिवादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादनी उक्त भूमि पर अवेध रूप से कब्जा करने की कोशिश में है इस बावत वादनी ने प्रतिवादी को छेड व अन्य मुकदमें में फंसाने की धमकी देते हुये कहा कि प्रतिवादी अपने खाते की जमीन को छोड दे नही तो वादनी झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा देगी। इस कारण विवाद से बचने के लिये प्रतिवादी ने दिनांक 04.07.2016 को राजस्व कर्मियों द्वारा भूमि का सीमांकन भी करवाया है लेकिन वादनी जबरन झूठी कहानी बनाकर प्रतिवादी की भूमि को हडपना चाहती है उसी कम में न्यायालय को गुमराह करते हुये काल्पनिक कहानी गड कर यह वाद पेश

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

किया है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि वादनी का वादपत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया ग्राम मुण्डियर तहसील शाहावाद में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 481/662 रकबा 4.00 बीघा स्थित है, जिसकी चतुरसीमायें वाद की मद कमांक 2 में दर्ज हैं। वादी की उक्त भूमि में अपनी 3.00 बीघा भूमि बतलाकर प्रतिवादी बिना किसी हक व अधिकार के वादी को बेदखल करना चाहता है। इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है ?

2. अनुतोष ?

वादी की ओर से पी.डब्ल्यू 1 मीरा के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी ग्राम मुण्डियर सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 तथा रिपोर्ट दिनांक 20.06.17 की प्रति पेश की है। प्रतिवादी की ओर से मात्र जबाव दावा पेश किया गया और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। वहस सुनी गई। तनकीवार विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार है –

1. आया ग्राम मुण्डियर तहसील शाहावाद में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 481/662 रकबा 4.00 बीघा स्थित है, जिसकी चतुरसीमायें वाद की मद कमांक 2 में दर्ज हैं। वादी की उक्त भूमि में अपनी 3.00 बीघा भूमि बतलाकर प्रतिवादी बिना किसी हक व अधिकार के वादी को बेदखल करना चाहता है। इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये वादी को यह साबित करना पडेगा कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व की है और वाद पेश किये जाने के समय उसका कब्जा रहा है। वादी की ओर से अपने खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मुण्डियर सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1 पेश की है, जिससे वादी विवादित भूमि की खातेदार होना प्रमाणित है। नकल नक्शा प्रदर्श 2 तरमीम है तथा नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 से विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होना साबित होता है। इसके खण्डन में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी की भूमि पर वादी का कोई हस्तक्षेप नहीं है और प्रतिवादी की भूमि मौके पर पडत पडी हुई है। इस प्रकार इस तनकी को साबित करने में वादी सफल रही है, अतः यह तनकी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

2. अनुतोष ?

यह तनकी न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी विवादित आराजी की खातेदार है, जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 481/662 रकबा 4.00 बीघा ग्राम मुण्डियर तहसील शाहावाद के बावत वादी के कब्जे काश्त तथा कृषि कार्यों में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद